रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25072026-274796
CG-DL-W-25072026-274796

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, जुलाई 12—जुलाई 18, 2026, शनिवार/ आषाढ 21—आषाढ 27, 1948
No. 24] NEW DELHI, JULY 12—JULY 18, 2026, SATURDAY/ ASHADHA 21— ASHADHA 27, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 128.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, साईस भर्ती नियम, 2019 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में साईस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी साईस (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि:-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ पर वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
साईस।	31* (2026) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (₹18,000-₹56,900)

चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	**आवश्यक:** किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। **वांछनीय:** पशु प्रबंधन, अस्तबल प्रबंधन और घोड़े के	लागू नहीं होता।

	टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	साज-सामान और सज्जा के रखरखाव मे अनुभव हो।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
2 वर्ष। **टिप्पणः** केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परीवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी.- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हो ; और (ख) जो स्तंभ (7) के	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: **1.**उप निदेशक – अध्यक्ष; **2.**सहायक निदेशक –सदस्य; **3.**प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या श्रेणी-3 –सदस्य।	लागू नहीं होता।

अनिवार्य होगा।	अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हो।			

[फा. सं. 23011/37/2018-पीटी]

रंजीत कुमार साव, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 9th July, 2026

G.S.R. 128.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Syce Recruitment Rules, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Syce in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.― (1)** These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Syce (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.―** The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.―** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.―** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.―** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.―** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the ex-Servicemen and other special categories of person, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Syce.	31* (2026) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (₹18,000-₹56,900).

Whether selection post or non-selection.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential:** 10^{th} class pass or equivalent from a recognised board. **Desirable:** Experience in animal management, stable management and maintenance of Saddlery and equipment.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	12)	(13)
Two years. **Note:** There shall be mandatory induction training of at least two-week duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under the circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of Central Government,- **(a)** holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: - **1.** Deputy Director – Chairperson; **2.** Assistant Director – Member; **3.** Administrative Officer Grade-II or Grade-III – Member.	Not applicable.

	(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).			

[F. No. 23011/37/2018-PT]

RANJIT KUMAR SHAW, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 129.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैड कांस्टेबल (घुड़सवारी), भर्ती नियम, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में हैड कांस्टेबल (घुड़सवारी), के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हेड कांस्टेबल (घुड़सवारी) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ पर वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।